न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम राक्षी तहसील बनेड़ा
: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 270/2011 राजस्व वाद

उनवान

1. श्रीमति नारायणी पत्नि स्व0 उरजन गुर्जर उम्र वयस्क निवासी नारदों का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

—— (वादीया)

बनाम

1. छोटु पिता धन्ना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी नारदों का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. भंवर पिता धन्ना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी नारदों का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. उपंपजीयक पंजीयन कार्यालय बनेडा जिला–भीलवाडा

——(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री कृष्ण चन्द्र देराश्री ....वादीया अधिवक्ता

दिनांक– 15.06.2017

राजस्व लोक अदाल कैम्प मुकाम राक्षी में वादीया अधिवक्ता उपस्थित। आज दिनांक 15.06.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं कि – वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम बेसकलाई पटवार क्षैत्र राक्षी की वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादीया व प्रतिवादी कम 01, 02 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है–

1. नारायणी पत्नि उरजन गुर्जर निवासी नारदों का खेडा सा0देह खातेदार

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
180/1	01–07	बीड बंजड	0.61
कुल 1	**रकबा 1–07 बीघा**		**0.61**

2. छोटु भवर पिता धन्ना गुर्जर निवासी नारदों का खेडा सा0 देह खातेदार

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
180	2.15	बीड बंजड	1.23
कुल 1	रकबा 2.15 बीघा		1.23

उक्तानुसार भूमि वादीया व प्रतिवादी कम 01, 02 के मध्य कम संख्या 1, 2 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी कम 01, 02 को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादीया के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिकी प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 15.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम राक्षी में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा